न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर प्रथम अलवर (राज0)

अपील प्रकरण संख्या 12/140/2018

प्रवेश तिथि 11.07.2018

अपीलार्थी	बनाम	प्रत्यर्थी
श्री नरपालसिंह यादव एडवोकेट न्यू कोर्ट परिसर, बहरोड, तहसील–बहरोड (अलवर)		राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी बहरोड (अलवर)

प्रथम अपील अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

निर्णय

दिनांकः 09.08.2018

1. उभय पक्ष अनुपस्थित।
2. मैंने पत्रावली का परिशीलन किया।
3. अपीलार्थी ने आवेदन–पत्र दिनांकः 07.06.2018 के माध्यम से प्रत्यर्थी विभाग से "राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार अभियान : 2018 अन्तर्गत आवेदन दिनांक तक आयोजित शिविरों में ग्राम पंचायतों में किन–किन पत्रावलियों में प्रारम्भिक डिक्री जारी की गई व जारी की गई उक्त प्रारम्भिक डिक्रियों में आगामी कार्यवाही का मय दस्तावेज विवरण एवं एक ही पक्षकार के प्रार्थना–पत्र पर कितनी प्रारम्भिक डिक्रियाँ जारी की गई, उनका मय दस्तावेजात् विवरण" उपलब्ध कराने की वांछा की गई थी।
4. आवेदक को उपरोक्त प्रार्थना–पत्र दिनांकः 07.06.2018 में वांछित सूचनायें नहीं मिलने के कारण प्रार्थना–पत्र दिनांकः 08.07.2018 के माध्यम से अपीलार्थी द्वारा इस कार्यालय में प्रथम अपील प्रस्तुत की गई।
5. प्रथम अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर प्रत्यर्थी पक्ष को नोटिस क्रमांकः कोर्ट/ए.डी.एम.प्रथम/आर.टी.आई.अपील/2018/641–42 दिनांकः 11.07.18 के माध्यम तलब कर दिनांकः 19.07.18 को जवाब नोटिस के साथ उपस्थित होने हेतु आदेशित किया गया। जवाब प्राप्त नहीं होने पर पत्रांकः 697–98 दिनांकः 20.07.18 एवं 770–71 दिनांकः 02.08.18 के माध्यम से स्मरण–पत्र जारी कर जवाब नोटिस के साथ उपस्थित होने हेतु निर्देशित किया गया एवं उक्त नोटिसेज की प्रति अपीलार्थी को भी प्रेषित की गई।
6. प्रत्यर्थी पक्ष की ओर से ना ही किसी प्रकार का जवाब नोटिस/प्रत्युत्तर प्राप्त हुआ और ना ही अपील प्रकरण में सुनवाई हेतु कोई उपस्थित हुआ।

अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम)
अलवर (राज0)

7. अपीलार्थी की ओर से एक प्रा0पत्र दिनांकः 19.07.18 के माध्यम से न्यायालय को अवगत कराया गया कि उन्हें प्रार्थना–पत्र दिनांकः 19.07.18 तक राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी बहरोड (अलवर) से किसी प्रकार की दस्तावेजी सूचना प्राप्त नहीं हुई है।

8. हमने अपीलार्थी के प्रथम आवेदन दिनांकः 07.06.18 का अवलोकन किया। अपीलार्थी द्वारा उक्त आवेदन में वांछित जानकारी इस प्रकार की सूचना है जो कि खोज कर एवं विश्लेषणोपरान्त ही उपलब्ध कराई जा सकती है। जिस हेतु सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 बाध्य नही करता है क्योंकि उक्त अधिनियम अंतर्गत विविध लोक प्राधिकरण अन्तर्गत लोक सूचना अधिकारी उनके क्षेत्राधीन संधारित/उपलब्ध रिकॉर्ड से ही सूचना जारी किये जाने के लिए अधिकृत हैं ना कि नवीन रूप में या निष्कर्ष निकाल कर उपलब्ध कराने के लिए।

9. किन्तु यहॉ पत्रावली के अवलोकन से यह भी स्पष्ट है कि प्रत्यर्थी द्वारा अपीलार्थी के प्रथम आवेदन दिनांकः 07.06.18 पर अधिनियम की धारा 7(1) में विनिर्दिष्ट समयावधि में या उसके बाद एवं प्रकरण में अपीलार्थी द्वारा प्रथम अपील दायर करने के बावजूद भी सूचना उपलब्ध नहीं कराई गई है। इस प्रकार प्रत्यर्थी पक्ष अपीलार्थी द्वारा वांछित सूचना उपलब्ध कराने हेतु सजग व गम्भीर नहीं है। प्रत्यर्थी द्वारा प्रकरण में आदिनांक तक कोई जवाब/प्रत्युत्तर/प्रतिक्रिया भी व्यक्त नहीं की गई है और ना ही अधिनियम की धारा 7(8) व 8(1) क से 8(1) ञ में उपलब्ध किन्हीं उपाबन्धों के तहत आवेदन अस्वीकृति/खारिज करने संबंधी जानकारी आवेदक को उपलब्ध कराई गई अर्थात् सूचना उपलब्ध नहीं कराने का कोई युक्तियुक्त कारण आवेदक को उपलब्ध नहीं कराया गया है एवं प्रथम अपील में बार–बार जारी नोटिसों के बावजूद भी अपीलार्थी को सूचना प्रेषित नहीं की है जो अधिनियम की मंशा प्रावधान एवं उद्देश्यों के प्रतिकूल है एवं उक्त अधिनियम की पालना के प्रति प्रत्यर्थी की लापरवाही, अकर्मण्यता एवं उच्चाधिकारियों के निर्देशों की अवहेलना की स्थिति दर्शाता है।

10. अस्तु अपील अपीलार्थी स्वीकार की जाती है। उक्त अपील प्रकरण में बार–बार जारी नोटिसों के बावजूद प्रत्यर्थी की अनुपस्थिति व जवाब प्रेषित नहीं करने के लिए जिला कलक्टर महोदय, अलवर को पृथक से लिखा जावे।

11. प्रत्यर्थी पक्ष को निर्देशित किया जाता है कि उक्त निर्णय की प्रति प्राप्ति के 10 दिवस में अपीलार्थी के प्रथम आवेदन–पत्र दिनांकः 07.06.18 पर उनके अभिलेख पर उपलब्ध दस्तावेजी सूचना बिन्दुवार निःशुल्क ही नियमानुसार अधिप्रमाणित कर अपीलार्थी को उपलब्ध कराई जावे एवं

अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम)
अलवर (राज०)

उक्त निर्णय तक आवेदक को सूचना प्रेषित नहीं किये जाने के संबंध में अधीनस्थ कार्मिकों के विरूद्ध राजस्थान सेवा नियमों में वर्णित प्रक्रिया अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जावे।

12. यहाँ यह भी वर्णन करना उचित होगा कि भविष्य में राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर जारी परिपत्र/दिशानिर्देशों के अनुसरण में अधिनियम के प्रावधानानुसार निर्धारित समयावधि में आवेदकों को सहज भाव से सूचना की अदायगी में अविलम्ब सूचना प्रेषित की जावे।

13. आदेश की प्रति उभय पक्ष के साथ–साथ जिला कलक्टर महोदय, अलवर को भी प्रेषित की जावे।

14. निर्णय घोषित ।

COURT OF THE ADDITIONAL COLLECTOR (I) न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम) अलवर (राज0) ALWAR (RAJ.)

(ओ.पी. जैन)
अपीलीय अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम)
अलवर (राज0)